

नगर परिषद साहिबगंज
कार्यपालक पदाधिकारी
03/01/2018
03/18
A. K. S.

प्रतिनिधि :- माननीय अध्यक्ष/उपअध्यक्ष/सभी वार्ड पार्षद को सूचनाई प्रेषित।
स्वच्छताग्रही/सभी तहसीलदार/रार/TD/SPS/सभी वार्ड उप उपसमिति, न040 से सूचनाई एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिनिधि :- सभी नौडल पदाधिकारी/AE/SBM प्रमारी/PMAY कार्या/सफाई प्रमारी/NULM/
प्रतिनिधि - निर्देशक, न040नि0 आरक्षण सरकार रानी/उपपर्यक्त, साहिबगंज को सूचनाई प्रेषित।
प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त प्रचार करने तथा मुख्य-मुख्य स्थान के स्थानीय नागरिकों से प्रचार नोटिस में इस्तफा कर कर अभिभव
खानि विस्तारक यंत्र से लगातार 7 दिनों तक सभी वार्डों में करना सुनिश्चित करेंगे। (बाजार, मार्केट एरिया में ज्यादा से
प्रतिनिधि- प्रचारक, विजय वीरसिया, साहिबगंज को आदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना का प्रचार-प्रसार अपने
जापाक 19 / SBM, साहिबगंज, दिनांक - 03-01-18

नगर परिषद साहिबगंज
कार्यपालक पदाधिकारी
03/18
A. K. S.

8. 015 विचारक केंद्र के डाटा के लिए स्प्रेडशीट के नाम
रुत आदेश प्राप्त करने हेतु
प्रतिनिधि को सूचनाई प्रेषित।

1. स्वच्छता से संबंधित शिक्षा के लिए SWACHHSTA APP के माध्यम से शिक्षा के और
आधिकार 48 घंटे के अंदर समाधान पाए।
2. सभी एकनादरों फुल-पात विकेंद्रों को सूचित किया जाता है कि शहर में सफाई व्यवस्था दुस्त
करने में नगर परिषद को सहयोग करें- कचरा को इस्तेमाल में ही डालें। सभी एकनादरों को सूचित
किया जाता है कि नगर परिषद से अपने एकनादरों का रेंड लाइसेंस बनाना सुनिश्चित करें वहीं
बनाने पर इस्तफा नगरपालिका अधिनियम-2011 के सू-संगत धारा के तहत कर्नली कार्टवाइ की
जायेगी। साथ ही साथ यह भी अज्ञात किया जाता है कि अपने-अपने एकनादरों को इस्तेमाल का प्रयोग
करें अन्यथा लाइसेंस निर्गत नहीं किया जायेगा।
3. सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि साहिबगंज शहरी क्षेत्र पलास्टिक का प्रयोग पूर्णतः
प्रतिबंधित है। 50 भाईकोन से कम पलास्टिक बैग प्रतिबंधित है इसके बिना एवं प्रयोग तदुत्तम अपराध
है। निवाम के उल्लंघन करने वाले पर कर्नली कार्टवाइ की जायेगी।
4. सभी वास निक्ता नगर परिषद कार्यालय से एन0310सी0 प्राप्त कर लाइसेंस बनवाना सुनिश्चित
करें, वहीं तो कर्नली कार्टवाइ की जायेगी।
5. निवाम के एकनादर एवं एकनादरों का इस्तेमाल नहीं है वे नगर परिषद से अपना इस्तेमाल लेना
सुनिश्चित करें। दिनांक-31 मार्च, 2018 तक बिना बिना टपक के इस्तेमाल टैक्स जमा कर सकते हैं।
अन्यथा इस्तफा नगरपालिका अधिनियम-2011 के सू-संगत धारा के तहत कर्नली कार्टवाइ की
जायेगी।
6. सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि एकनादर बनाने हेतु सामग्री सड़क व बाला के उपर
न रखें। गुल्लत अपने जमीन, एकनादर में सामग्री सुरक्षित कर लें। अन्यथा निर्देशक के कम में सड़क व
बाला पर सामग्री पाये जाने पर नगर परिषद प्रशासन के द्वारा जल कर लिया जायेगा।
7. सभी शहर वासियों से अज्ञात है कि वे अपने बौतिक निक्तावरी को निभायें तथा नगर परिषद
साहिबगंज को बेहतर सेवा देने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
8. 015 विचारक केंद्र के डाटा के लिए स्प्रेडशीट के नाम
रुत आदेश प्राप्त करने हेतु
प्रतिनिधि को सूचनाई प्रेषित।

:- आवश्यक सूचना :-

दिनांक-03-01-18

साहिबगंज नगर परिषद, साहिबगंज।



पत्रांक - 01/विविध (वा0वि0के0)-52/2017/न0वि0आ0.२४

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी,
सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :- ०३/०१/१८

विषय:-वार्ड विकास केन्द्र के गठन हेतु आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की तिथि विस्तारित करने के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में वार्ड विकास केन्द्र के गठन हेतु स्वयंसेवकों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रण सूचना राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक-12.12.2017 तक आवेदन समर्पित करने की तिथि निर्धारित की गयी थी।

इस संबंध में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचना अनुसार वार्ड विकास केन्द्र के गठन के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन निकाय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में वार्ड विकास केन्द्र के गठन के लिए स्वयंसेवकों के चयन हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक-31.01.2018 तक विस्तारित की जाती है।

अनुरोध है कि इस विषय का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में योग्य अभ्यर्थियों का आवेदन निकाय को प्राप्त हो सके।

विश्वासभाजन,



(राहुल कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 01/विविध (वा0वि0के0)-52/2017/न0वि0आ0.२४

राँची, दिनांक:- ०३/०१/१८.

प्रतिलिपि:- निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी राज्यस्तरीय नोडल पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।